



उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय

(राज्य सरकार का स्वायत्तशासी निकाय, विष्वविद्यालय अनुदान अधिनियम, 1956 की धारा 2(एफ) के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त, भारतीय विश्वविद्यालय संघ (ए.आई.यू.) की सदस्यता प्राप्त)

हरिवाला, देहरादून - 248001

वेबसाईट : uau.ac.in

ईमेल : uauaffiliation@gmail.com

पत्रांक २५४० / उ०आ०वि० / सम्बद्धता / २०२३-२४

दिनांक : १९ / १२ / २०२३

सम्बद्धता कार्यालय आदेश

शैक्षणिक सत्र-2023-24

भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग, (NCISM) नई दिल्ली, आयुष मंत्रालय भारत सरकार की संस्तुति/स्वीकृति पत्र संख्या Ref. No.3-4/MARB/ 2023-Ay. (141) दिनांक 15.09.2023 के क्रम में उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा-33 की उपधारा (4) में उल्लिखित प्राविधानों के अनुपालन में निम्नांकित संस्थान/परिसर को स्तम्भ-03 में वर्णित पाठ्यक्रम हेतु उनके सम्मुख अंकित सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ स्तम्भ-5 में वर्णित अवधि के लिए अस्थाई सम्बद्धता की स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है।

| क्र.सं. | परिसर/संस्थान/ महाविद्यालय का नाम | संचालित पाठ्यक्रम का नाम | संस्थान में प्रवेश क्षमता | अस्थाई सम्बद्धता की अवधि |
|---------|--|-----------------------------|---------------------------|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 01 | कोर मेडिकल कॉलेज ऑफ आयुर्वेद एवं हॉस्पिटल, रुड़की हरिद्वार। | BAMS | 60 सीट | शैक्षणिक सत्र 2023-24 हेतु अस्थाई सम्बद्धता। |

- 2- परिसर/संस्थान को विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों का पालन किया जाना होगा।
- 3- परिसर/संस्थान में मानक के अनुसार अहं फैकल्टी की नियुक्ति/सेवानिवृत्ति/पद त्याग की स्थिति में सूचना की पुष्टि समय-समय पर विश्वविद्यालय को दी जानी होगी।
- 4- परिसर/संस्थान द्वारा किसी दूसरे विश्वविद्यालय का कोई दूरस्थ शिक्षा अध्ययन केन्द्र संचालित नहीं किया जायेगा।
- 5- छात्रों से शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क ही लिया जायेगा। यदि निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क लेने की पुष्टि होती है तो विश्वविद्यालय अधिनियम में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
- 6- यदि किसी संस्थान द्वारा शासन एवं विश्वविद्यालय के आदेशों का उल्लंघन किया जाता है तो विश्वविद्यालय द्वारा पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के लिए दी गयी अनापति (NOC) को वापस लिए जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

7- परिसर/संस्थान में कार्यरत फैकल्टी एवं कर्मचारियों का वेतन इत्यादि का भुगतान राज्य सरकार एवं भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग, (NCISM) नई दिल्ली, आयुष मंत्रालय भारत सरकार के मानकों के अनुरूप अनिवार्य रूप से क्रास चेक द्वारा उनके नाम खोले गये खाते के माध्यम से किया जायेगा, जिसकी पुष्टि समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा की जायेगी।

8- परिसर/संस्थान द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के एस०सी०/एस०टी०/ओ०बी०सी० को अधिनियम के अनुसार प्रवेश में आरक्षण दिया जाना आवश्यक होगा।

9- पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में समस्त आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था के सम्बन्ध में समय-समय पर सूचना विश्वविद्यालय को दी जानी अनिवार्य होगी।

10- भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग, (NCISM) नई दिल्ली, आयुष मंत्रालय भारत सरकार, द्वारा अनुमोदन के सम्बन्ध में यदि कोई शर्त निर्धारित की जाती है तो संस्थान द्वारा उसका पालन भी किया जाना आवश्यक होगा।

उक्त आदेश मा० कुलपति महोदय की सहमति/अनुमोदन के उपरान्त जारी किया जा रहा है।

भवदीय,


(प्रो० अनूप कुमार गक्खड़)
प्रभारी कुलसचिव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. सचिव, आयुष एवं आयुष शिक्षा, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. सचिव/अध्यक्ष भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग, (NCISM) नई दिल्ली।
3. सचिव, श्री राज्यपाल / मा० कुलाधिपति महोदय, राजभव, देहरादून।
4. निजी सचिव मा० कुलपति महोदय, मा० कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ।
5. सचिव आयुष एवं आयुष शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
6. निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवाये, उत्तराखण्ड।
7. मुख्य वित्त अधिकारी, उ०आ०वि० हर्वाला, देहरादून।
8. प्राचार्य, कोर मेडिकल कॉलेज ऑफ आयुर्वेद एवं हॉस्पिटल, रुड़की हरिद्वार।
9. गार्ड फाईल


(प्रो० अनूप कुमार गक्खड़)
प्रभारी कुलसचिव